प्रेषक,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः C-1036/बा0वी0परि0/स्वा0 एवं पो0/2020–21, दिनांक 29 जनवरी, 2021

विषयः आँगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के संचालन हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक संख्या **C-977/बा0वी0परि0/स्वा0 एवं पो0/2020–21**, दिनांक 21.01.2021, पत्रांक संख्या **C-2960/रा0पो0मी/पो0अभी/2020–21**, दिनांक 27.01.2021 एवं पत्रांक संख्या**C–3040** दिनांक 29.01.2021 के द्वारा आँगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु प्रदेश के समस्त आँगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 01.02.2021 को खेले जाने तथा आँगनबाड़ी केंद्रो पर समुदाय आधारित गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए निर्गत किया गया हैं।

भारत सरकार द्वारा निर्गत आँगनबाड़ी केंद्रो के पुनःसंचालन के संबंध में निर्गत गाईडलाइन्स दिनांक 11.11.2020 के अनुपालन में उपकोक्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन गाईडलाइन्सकी सभी बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त गाईडलाइन्सके अनुरूप कन्टेंमेंट ज़ोन में स्थित आँगनबाड़ी केंद्रों को अभी नही खोला जाएगा।शेष के आँगनबाड़ी केंद्रों परशाला पूर्व शिक्षा पुनः प्रारंभ करने के लिए**माह फरवरी एवं मार्च** के संबंध मेंदिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं –

आँगनबाड़ी केंद्र मेंशाला पूर्व शिक्षा हेतु आने वाले 03–06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में:

1. आँगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा हेतु बच्चें आयु वर्ग अनुसार सप्ताह में निर्धारित दिनों पर निम्नलिखित रूप से ही आएंगें –

महिना	आयु वर्ग	दिन
फरवरी	03–05	बृहस्पतिवार और शनिवार
	05–06	सोमवार और शुक्रवार
मार्च	03–05	मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार
	05–06	सोमवार, बुधवार और शुक्रवार

2. 03–06 वर्ष आयु वर्ग के निम्न बच्चें आँगनबाड़ी केंद्रों नही आएंगें :
   - **a.** जो बच्चें बीमार हो।
   - **b.** जो बच्चें SAM/MAM वर्ग में हो।
   - **c.** जो बच्चें कन्टेंमेंट ज़ोन में रहते हो।
   - **d.** जिन बच्चों के परिवार में कोविड पोज़िटिव सदस्य हो।

Scanned with CamScanner

e. जिन बच्चों के घरों में 65 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य हो।

3. आँगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा सर्वप्रथम 03–05 वर्ष और 05–06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु दो अलग–अलग सूची तैयार किया जाएगा, जिसका प्रारूप निम्न प्रकार हैं–

महीनाः फरवरी			
03–05 वर्ष आयु वर्ग (बृहस्पतिवार और शनिवार)		05–06 वर्ष आयु वर्ग (सोमवार और शुक्रवार)	
बच्चे का नाम	माता/पिता का नाम	बच्चे का नाम	माता/पिता का नाम

महीनाः मार्च			
03–05 वर्ष आयु वर्ग (मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार)		05–06 वर्ष आयु वर्ग (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार)	
बच्चे का नाम	माता/पिता का नाम	बच्चे का नाम	माता/पिता का नाम

4. आँगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा तैयार की गई बच्चों की उक्त सूची को आँगनबाड़ी केंद्र के बाहरी दीवार चस्पा किया जाना हैं, तथा उसकी एक प्रति आँगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को उपलब्ध कराई जाएगी हैं।
5. आँगनबाड़ी कार्यकत्री अभिभावकों को केंद्र खुलने से पूर्व ही यह सूचित करेगी कि वह अपने बच्चों को किस समय एवं किन दिनों केंद्र पर भेजेंगें।
6. आँगनबाड़ी कार्यकत्री अभिभावकों को केंद्र खुलने से पूर्व ही यह सूचित करेगी कि निम्न बच्चों को केंद्र पर न भेजा जाए –
   - जो बच्चें बीमार हो।
   - जो बच्चें SAM/MAM वर्ग में हो।
   - जो बच्चें कन्टेंमेंट ज़ोन में रहते हो।
   - जिन बच्चों के परिवार में कोविड पोज़िटिव सदस्य हो।
   - जिन बच्चों के घरों में 65 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य हो।

आँगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका और मुख्य सेविका को यह सुनिश्चित करेंगीं कि केंद्र पर वही बच्चें आए जिनके नाम आँगनबाड़ीकार्यकत्री द्वारा बानाई गई सूची में प्रदर्शित हैं।

आँगनबाड़ी केंद्र को पुनः प्रारंभ करने हेतु आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के संबंध में:

1. आँगनबाड़ी केंद्रों के खुलने पर निम्न आँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका केंद्र पर नही आएगें:
   a. जो आँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका बीमार हैं/कोविड पोज़िटिव हैं/कोविड पोज़िटिव होने के लक्षण हैं।
   b. जो आँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका 60 वर्ष से अधिकआयु वर्ग की हैं।
2. यदि आंगनबाड़ी कार्यकत्री बिंदु संख्या 01 में से उल्लिखित दोनो में से किसी भी एक अवस्था मे होतो, –
   a. आँगनबाड़ी कार्यकत्री अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को सूचित करेगी।
   b. आँगनबाड़ी कार्यकत्री के स्थान पर केंद्र का संचालन उस केंद्र के सहायिका करेगी।

Scanned with CamScanner

3. यदि किसी आँगनबाड़ी केंद्र की कार्यकत्री और सहायिका, दोनो बिंदु संख्या 01 के अनुसार केंद्र संचालन करने के स्थिति में नही हो तो, उनके स्थान पर शाला पूर्व शिक्षा के संचालन तथा गृह भ्रमण उस आँगनबाड़ी कार्यकत्री के क्षेत्रीय मुख्य सेविका करेगी।
4. यदि आँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका बिंदु संख्या 01 के अनुसार केंद्र संचालन के स्थिति में नहीं हो तो, वह कार्यकत्री/सहायिका आवश्यकता अनुसार/नियम अनुसार quarantineके नियामों का पालन करेगी।

शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में:

1. प्रत्येक आँगनबाड़ी कार्यकत्री को फरवरी और मार्च महीनों में कराए जाने वाले गतिविधियों का कैलेण्डर संलग्न हैं (संलग्न 'क'), जिसमें बच्चों के आयु वर्ग एवं निर्धारित दिनों के अनुसार गतिविधियाँ तथा महीने मे प्रत्येक मंगलवार को समुदाय आधारित गतिविधियाँ (सी0बी0ई) उल्लिखित हैं।
2. फरवरी और मार्च महीनों में आँगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित किए जाने वाले सी0बी0ई हेतु विशिष्ट गाईडलाइन पृथक से जारी किए गए हैं। (पत्रांक संख्या C–**3040**दिनांक 29.01.2021)
3. प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को आँगनबाड़ी कार्यकत्री 03–06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों के साथ **पी0टी0एम** करेंगें। पी0टी0एम के दौरान आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निम्न बिंदु पर ध्यान देना हैं –
   a. बच्चों के आयु के अनुसार सर्वांगीण विकास के विभिन्न स्तर से उनके माता पिता/समुदाय को अवगत कराना है।
   b. समुदाय तथा माता पिता के सक्रिय सहभागिता के लिए सही अवसर प्रदान करना जिससे कि वे संसाधन तथा सामग्री का सहयोग ऑगनवाड़ी केन्द्र को दें।
   c. अनौपचारिक खेल तथा गतिविधि आधारित शिक्षा विधि के बारे में माता–पिता/समुदाय को समझाना ताकि वो इसकी आवश्यकता को समझें और इसको स्वयं भी लागू करने में सक्षम बने।
4. आँगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्रतिदिन बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियाँ दी जाएंगी, जो बच्चें घर पर अपने अभिभावकों के सहायता से कर सके। घर पर की जाने वाली गतिविधियों हेतु दो मासिक (फरवरी और मार्च) सूची इस पत्र में संलग्नक हैं। (संलग्न 'ख')
   घर पर कराई जाने वाली गतिविधियों के दिशा–निर्देश आँगनबाड़ी कार्यकत्री अभिभावकों को केंद्र संचालन के उपरांत देंगीं। इसके साथ–साथ जिन अभिभावकों के फोन परwhatsappकी सुविधा हैं, आँगनबाड़ी कार्यकत्री उन अभिभावकों को whatsapp के माध्यम से भी गतिविधियों के दिशा–निर्देश भेज सकते।
   उक्त ऑडियो क्लिप whatsapp के माध्सम से आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ साझा किए जाएंगें।
5. आँगनबाड़ी कार्यकत्री निर्धारित दिनों पर आने वाले बच्चों की उपस्थिति, **उपस्थित पंजीका** में नियमित रूप से अंकित करेगी।

कोविड–19 गाईडलाइन के अनुपालन के संबंध में:

1. आँगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन लाभार्थियों के आने से पूर्व आँगनबाड़ी कार्यकत्री केंद्र के अच्छे से साफ–सफाई तथा केंद्र को सैनिटाईज़ करेगी।
2. आँगनबाड़ी कार्यकत्रीकेंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा हेतु आने वाले बच्चों के बैठने तथा अन्य गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु, केंद्र के फर्श पर स्पष्ट रूपसे गोला बनाएगी।
3. आँगनबाड़ी कार्यकत्रीकेंद्र पर बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खेल और शिक्षण सामग्री को प्रत्येक शिक्षण दिवस से पूर्व सैनिटाईज़ करेगी।
4. आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका यह सुनिश्चित करेंगें कि केंद्र पर हाथ धोने हेतु साफ पानी व साबुन उपलब्ध हैं।

Scanned with CamScanner

5. आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगाकि केंद्र पर यदि शौचालय की सुविधा हैं, तो शौचालय साफ एवं क्रियाशील स्थिति में हो।
6. आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका यह सुनिश्चित करेंगीं कि–
   a. मोर्निंग स्नैक्स और मध्यान भोजन से पहले और बाद में,साबुन और पानी से वह अपने हाथ धोए तथा बच्चों के हाथ धुलवाए जाए।
   b. शौचालय प्रयोग करने के बाद साबुन और पानी से वह अपने हाथ धोए तथा बच्चों के हाथ धुलवाए जाए।
7. आँगनबाड़ी केंद्रों के पुनः प्रारंभ होने के उपरांत आँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका बच्चों के साथ कोविड–19 महामारी से बचने पर चर्चा प्रथम शिक्षण दिवस, अर्थात 05–06 वर्ष के साथ प्रथम सोमवार और 03–05 वर्ष के साथ प्रथम बृहस्पतिवार, कोकरेगी।
8. जिन केंद्रों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध हैं, उन केंद्रों में आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगर हैं कि केंद्र पर साफ और स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो। जिन जिन केंद्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं हैं, उन केंद्रों पर टोटी और फिल्टर वाले स्टील ड्रममें पेय जल की व्सवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्तबच्चें स्वयं अपने घर से भी पानी ला सकते हैं।
9. आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र पर सैनिटाईज़र व पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध हैं।
10. आँगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना हैं कि केंद्र पर वही लाभार्थी आए जिनका नाम आँगनबाड़ी केंद्र पर चस्पा सूची में हो तथा जिनको सूचित किया गया हैं। समुदाय के अन्य सदस्य या लाभार्थियों का केंद्र में प्रवेश वंचित किया जाए।

अनुपूरक पोषाहार (खाद्यान वितरण) के संबंध में दिशा–निर्देशः

1. आँगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारावितरण दिवस तक अनुपूरक पोषाहार केपैकेट आँगनबाड़ी केंद्र पर स्टोर किए जाने हेतु केंद्र में एक स्थान निर्धारित किया जाएगा। जिन केंद्रों में रसोई घर की सुविधा हैं, अनुपूरक पोषाहार के पैकेट रसोई घर में स्टोर किए जा सकते हैं।
2. केंद्र पर अनुपूरक पोषाहारके पैकेट की आपूर्ति के दौरानआँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका द्वारा प्रत्येक पैकेट की जांच की जानी हैं तथा वितरण/प्रयोग से पूर्व उन्हें सैनिटाईज़ किया जाना हैं। इसके पश्चात आँगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका को अपने हाथ साबुन से अवश्य धोना हैं।

अतः आपसे यह निर्देशित किया जाता हैं कि दिनांक 01.02.2021 से आँगनबाड़ी केंद्रों में सेवाओं के पुनः प्रारंभ हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन करें।

भवदीया,

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकनः संख्या   तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।

Scanned with CamScanner